न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना छिम्पा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 24/2015

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

--प्रार्थी--

बनाम

1. देवी लाल पुत्र हनुमान प्रसाद जाति बिश्नोई निवासी 9 एफए मांझीवाला तहसील श्रीकरणपुर।

--अप्रार्थी--

अन्तर्गत धारा 83,84,86 आर.टी.ए

--निर्णय-- दिनांक : 23/1/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 2 एफ बी के खाता संख्या 25/21 के मु0नं0 4 की कुल 6.325 हैक्टर नहरी भुमि में प्रतिवादी संख्या 1 देवीलाल 1.339 हैक्टर तथा इन्द्र कुमार 1.320 हैक्टर इन्द्र देव 2.079 हैक्टर कृष्णादेवी 0.358 हैक्टर राजेन्द्र कुमार 0.874 हैक्टर, विनोद कुमार 0.359 हैक्टर खातेदारी भुमि साझा खाता में राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी सख्या 1 में चक 2 एफबी के इस मु0नं04 के किला 4,7,14,17 व 24 तथा 5,6,15,16 व 25 के मध्य स्थित खाले पर शीशम के पेड़ को विना स्वीकृति के काट कर खुर्दबुर्द कर दिया प्रतिवादी ने सांझा खाता की भुमि में से हरे वृक्ष को विना मंजूरी के काटा है जो कि राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 84 की अवहेलना है इस लिए प्रतिवादी को इस पेड़ को विना स्वीकृति के काटेजाने की अवहेलना करने पर धारा 84 के तहत भारी से भारी शास्ति आरोपित की जाये वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है अतः वाद पत्र स्वीकार फरमाया जावें। वाद पत्र के साथ राजेन्द्र कुमार पुत्र बनवारी लाल के द्वारा इस सम्बन्ध में पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 17.04.15 की छाया प्रति, रिपोर्ट पटवारी हल्का की छाया प्रति, जमा बंदी, देवी लाल के द्वारा तहसील दार को दिनाक 22.04.15 को पेश प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र की छाया प्रति पेश की।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को जरीये समन तलब किया गया अप्रार्थी की और से अजय बिश्नोई अधिवक्ता उपस्थित आये एवं जबाब दावा मय अतिरिक्त कथन पेश किया। जबाव दाबा के अनुसार मद संख्या 1 रिकोर्ड के अनुसार स्वीकार है, मद संख्या 2,3 अस्वीकार है। मद संख्या 4 के सम्बन्ध में पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार "मौका पर पुछताछ में उपस्थित व्यक्तियों ने बताया की मु0नं04 के किला 4,7,14,17 व 24 तथा 5,6,15,16 व 25 के मध्य स्थित खाले पर शीशम के छोटे 6 पेड़ को देवी लाल ने मौके से काट लिये है मौका जॉच करने पर पेड़ काटने वाला व्यक्ति मौके पर नही मिला जॉच के समय मौके पर 1 छोटा शीशम का पेड़ जड़ छागन आदि पड़े थें मौके पर सम्बन्धित व्यक्ति को दूरभाष पर पावन्द किया गया" । इस रिपोर्ट में कही अंकित नही है कि मौका पर कौन-कौन व्यक्ति उपस्थित थें जिन्होने देवी लाल द्वारा पेड़ काटना बताया। शिकायत कर्त्ता राजेन्द्र कुमार प्रतिवादी से रंजिश रखता है। राजेन्द्र कुमार के विरूद्व प्रतिवादी द्वारा मार-पीट का मुकदमा दर्ज करवाया था जो न्यायालय में विचाराधीन है। राजेन्द्र कुमार द्वारा पेश प्रार्थना पत्र रंजिश वंश गलत पेश किया है। मद संख्या 5 के सम्बन्ध में पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार 1 शीशम का छोटा पेड़ कटा हुआ पाया गया जिसके सम्बन्ध में प्रतिवादी द्वारा शपत पत्र भी पेश किया है। मु0नं0 4 में मेरे नाम भुमि है यह वृक्ष मेरें द्वारा घरेलू जरूरत पुरी करने के लिए हटाया गया है इस वृक्ष को हटाने के लिए मंजूरी नही ली गई क्योकि जिला कलैक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 8014-28 दिनांक 16.10.2008 के अनुसार राजस्थान काशत कारी अधिनियम 1955 की नियम 24 ई ई के उपनियम 1 में प्रावधान है कि शीशम व बबूल के वृक्षो को हटाने के लिए मंजूरी की आवश्यकता नही है इस वृक्ष को हटाने में किसी वारिसान को कोई एतराज नही है। कलैक्टर महोदय के आदेश के अनुसार ही मेरे द्वारा इस शीशम के पेड़ को हटाया गया है कोई कानून की अवहेलना नही की गई है। प्रकरण गलत आधार पर पेश किया है जो खारिज योग्य है। मद संख्या 5 के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

सम्बन्ध में निवेदन है कि इस मु0नं04 के कुल 25 बीघा में मेरे नाम 1.339 हैक्टर भुमि राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज है यह सांझा खाता है सभी खातेदारो ने कई वर्ष पूर्व काशत की सुविधा के लिए अपने-अपने हिस्सा अनुसार भुमि का वाहमी बटवारा कर अपने-अपने हिस्से की भुमि पर काशत करते आ रहें है। बटवार अनुसार प्रतिवादी व उसके भाई इन्द्रकुमार को मु0नं04 के किला न0 4 ता 7,14 ता 17, 24 ता 25 सालम व किला न0 23 का आधा प्राप्त हुई है । जिस पर वह शान्तिपूर्वक काशत कर रहें है। इन बीघो की बट पर ही उक्त पेड उगाया गया था। जो प्रतिवादी की भुमि पर था। घरेलू जरूरत हेतु पेड़ काट लिया था और दुगने पेड़ लगा दिये थें। पेड़ काटे जाने के बाद पटवारी हल्का के द्वारा मुझे पेड़ उठाने बाबत् पाबन्द किया था, इसलिए प्रतिवादी ने यह पेड़ उठाकर खुर्दबुर्द नही किया बल्कि कटा हुआ पेड़ लावारिस खेत में पड़ा देख कर अन्य काई व्यक्ति अंधेरे में उठाकर ले गया। जिसकी सुचना पटवारी द्वारा तहसीलदार को दी गई जिसमें यह दर्ज किया गया की यह पेड़ घटना स्थल से उठा लिया गया है परन्तु पटवारी हल्का द्वारा देवीलाल द्वारा पेड़ उठाने की बात दर्ज नही की। मेरे द्वारा पेड़ खुर्द बुर्द करने का प्रश्न ही पेदा नही होता यदि प्रतिवादी द्वारा पेड़ उठाना होता तो पेड़ काटने के समय ही उठाता पावन्द होने के बाद क्यो उठाता। जिला कलैक्टर महोदय के उपर वर्णित आदेश के अनुसार बबूल व शीशम के पेड़ों को हटाने के लिए मंजूरी की आवश्यकता नही है इसलिए प्रकरण आधारहीन होने के कारण खारिज योग्य है। दावा निर्धारित प्ररूप में एवं दावा में सत्यापन दर्ज नही किये जाने के कारण खारिज योग्य है। जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वाद मय खर्चा खारिज किया जावें।

बहस सुनी गई पैरोकार राज के द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। एवं प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में जवाब दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र खारिज हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादी के द्वारा यह वाद पत्र शिकायतकर्ता राजेन्द्र कुमार के प्रार्थना पत्र पर की गई जांच के संबंध मे पेश किया है। जिसमे शिकायतकर्ता के द्वारा चार पांच पेड़ काटना लिखा गया है जबकि मौका जांच मे एक शीशम का पेड़ काटना अंकित किया है। कटा हुआ पेड़ मौका से कौन उठाकर ले गया है यह अंकित नही है। वाद पत्र के अनुसार अप्रार्थी के द्वारा शीशम का पेड़ बिना मजूरी के काटा गया है। अप्रार्थी के द्वारा यह पेड़ साझा खाता की भूमि मे से काटा गया है जिसमे अप्रार्थी भी सहखातेदार है। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यो के अनुसार अप्रार्थी के द्वारा यह पेड़ घरेलू जरूरत के लिए काटा जाना प्रतीत होता है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर बिना स्वीकृति पेड़ काटे जाने पर अप्रार्थी देवीलाल पर 100 रूपये शास्ति राशि लगाई जाती है। अप्रार्थी इस काटे गये पेड़ के बदले पांच पेड़ लगायेगा। तहसीलदार श्रीकरणपुर अप्रार्थी से शास्ति राशि वसूल कर राजकोष मे जमा करवावे। आदेश इस आशय का जारी हो। पत्रावली फैसलशूमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/1/2019. को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

{श्रीमती रीना छिम्पा आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner